# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 33 / 2022 / बाड़मेर**

| **अपीलांटस** | **रेस्पोडेंटगण** |
|---|---|
| जसुदान पुत्र कल्याणदान, उम्र 60 वर्ष जाति चारण निवासी ओलेचा तहसील शिव, जिला बाड़मेर | 1. राधादेवी पत्नी भंवरदान उम्र 62 वर्ष जाति चारण निवासी लोलेचा, हाल निवासी दानजी की होदी, तहसील व जिला बाड़मेर<br>2. मोतीदान पुत्र अम्बादान<br>3. आसुदान पुत्र अम्बादान<br>4. सुमेरदान पुत्र कल्याणदान<br>5. दीपकंवर पत्नी कल्याणदान जातियान चारण निवासीयान ओलेचा तहसील शिव जिला बाड़मेर<br>6. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक भींयाड़<br>7. शाखा प्रबन्धक बी.सी.सी.बी. शिव<br>8. श्रीमान तहसीलदार शिव जिला बाड़मेर |

**अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 57 / 2020 बअनवान राधादेवी बनाम मोतीदान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2021 के विरूद्ध पेश हुई।**

**उपस्थिति**

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रेमाराम सोनी रेस्पोडेंट की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 02.12.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा आलेचा, तहसील शिव के खसरा संख्या 68 / 20 रकबा 46 व 69 / 20 रकबा 94.07 बीघा कुल रकबा 140.07 बीघा अवस्थित है। हस्तगत वाद का सम्मन न तो अपीलांट को दिये, और न ही वाद पत्र के तथ्यों की प्रतिवादीगण को कोई जानकारी ही है, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई सबूत का कोई अवसर नहीं दिया न अपीलांट को सुना गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन अपीलांट से व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलाधीन आराजी का बंटवारा करने हेतु अपीलांटस द्वारा भी एक वाद संख्या 48/2020 पेश किया जो विचाराधीन है। कोरोना महामारी के चलते राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा राजस्व न्यायालयों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किये है, उनके अनुसार किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति में उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं करने एवं कोई प्रभावी एकतरफा आदेश नहीं करने की हिदयत भी दी गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। वर्तमान प्रकरण एक युक्तिसंगत प्रकरण हैं, जिसमें श्री अपील न्यायालय का विधिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं, यदि ऐसे युक्तिसंगत मामले में श्री अपील न्यायालय के द्वारा विधिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता हैं, तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होंगे, परिणाम स्वरूप अपीलांट अपने हक, हिस्से की भूमि से वंचित रह जायेगा। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये लेकिन जानबुझकर अपीलांटस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा उतरदाता/वादीगण को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्सों लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है तथा निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटस अपील खारिज फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम जारी सम्मनों पर व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं करवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांटस ने एक वाद 48/2020 पैतृक भूमि होने का कथन करते हुए पेश किया गया जो आज भी विचाराधीन है लेकिन वादीनी/रेस्पोडेंटस द्वारा पेश वाद को डिक्री किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर षिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 57/2020 बअनवान राधादेवी बनाम मोतीदान वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.07.2021 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत वाद एवं अपीलांटस द्वारा पेश वाद संख्या 48/2020 दोनों को समुकित किया जाकर अपीलांटस को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.02.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 02.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर